न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–27/2018/भीलवाड़ा (2018/00027)

1. श्री गोविन्द सिंह पुत्र नाथू सिंह
2. मु0सोहन कंवर बेवा नाथू सिंह
3. जसु पुत्री नाथू सिंह

समस्त राजपूत आयु वयस्क निवासी राखोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ –भीलवाड़ा।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्धान उपखण्ड अधिकारी,बिजौलिया–भीलवाड़ा दिनांक 16.01.2018 अंतर्गत अपील संख्या 93/2017

1. श्री विरेन्द्र सिंह पंवार, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– .....

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी,बिजौलिया भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राखोली तहसील बिजौलिया की आराजीयात खसरा संख्या 415/349 रकबा 03–18–00 व खसरा नम्बर 348 रकबा 00–13–00 बीघा अपीलांट की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । यह कि अपीलांट की खातेदारी की आराजी नम्बर 415/349 में से प्रचलित रास्ता विद्यमान है जिस पर ग्राम पंचायत चांज जी की खेडी द्वारा ग्रेवल सडक बना रखी है जिस पर से समस्त ग्रामवासियान सदा आवागमन करते हैं किन्तु राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियों ने भूल व गलतीवश राजस्व नक्शे में रास्ते का इन्द्राज गलत रूप से खसरा नम्बर 348 रकबा 00–13–00 बीघा भूमि में कर दिया जिससे अपीलांट के हितो पर विपरीत असर पड रहा है । जिसे पुनः दुरस्त किये जाने हेतु अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 136 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे उपखण्ड अधिकारी महोदय ने पूर्ण अवलोकन किये बगैर ही दिनांक 16.01.2018 को निरस्त कर दिया जबकि जवाब सरकार व मौका रिपोर्ट से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट की खातेदारी के खसरा संख्या 415/349 पर प्रचलित रास्त बना हुआ है और ग्रेवल रोड बनी हुई है और ग्रेवल रोड के सहारे पाईप लाईन डाली हुई है और इसी ग्रेवल रोड पर सभी ग्राम वासियान आते जाते रहते है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ते को

गलत रूप से अपीलांट की खातेदारी की कब्जेशुदा काश्त की भूमि में अंकित कर दिया गया है । विद्धान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जरिये आदेश मौका रिपोर्ट 27.11.2017 में मौके पर व नक्शे में रास्ते की भूमि अलग अलग जगह होना पूर्णतया स्पष्ट है साथ ही राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र प.3(2)राज.6पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार उक्त प्रचलित रास्ते को गै0मु0रास्ते के रूप में नक्शे व राजस्व रिकार्ड में अंकित करने के निर्देश हैं फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उक्त बिन्दु के संबंध में कोई फाईडिंग अंकित नही कर बगैर ही आदेश पारित कर दिया इससे उनके द्वारा पारित निर्णय धारा 136 एल आर एक्ट की मंशा के विपरित होकर काबिल निरस्त योग्य है ।

2- अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल प्राप्त हुए । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ तथा रेस्पोडेन्ट के विद्धान वकील द्वारा प्रकरण में बहस किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्षी बहस सुनी गई ।

3- अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलांट तारीख पेशी पूछने दिनांक 13.03.2018 को न्यायालय में गया तो उसे प्रकरण दिनांक 16.01.2018 को खारिज किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई तब अपीलांट ने उसी दिवस दिनांक 13.03.2018 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 20.03.2018 को नकल प्राप्त हुई जिसके बाद अपीलांट तुरन्त प्रभाव से फीस व अन्य खर्चो का इन्तजाम कर दिनांक 28.03.2018 अजमेर अभिभाषक से सम्पर्क किया और यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अबिलम्ब प्रस्तुत कर दी । अतः अपील पेशन करने में हुई देरी सद्भाविक देरी है जिसे क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर तय किये जाने का निवेदन किया ।

4- अपीलान्ट् के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि से मौके पर जो रास्ता है जिसपर ग्रेवल सडक बनी हुई है तथा पाईप लाईन बिछी हुई है उसे गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करते हुए दूसरी जगह रास्ता (जो मौके पर प्रचलित नहीं है) का अंकन कर दिया गया जो गलत है । अतः अपील स्वीकार कर मौके की जांच एंव गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

5- अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस का जबाव देते हुए कथन किया कि विद्धान उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया भीलवाडा द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र प.3(2)राज.6पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार किसी खातेदारी या सरकारी भूमि में प्रचलित रास्ते के पृथक से खसरा नम्बर कायम कर उक्त प्रचलित रास्ते को गै0मु0रास्ते के रूप में नक्शे व राजस्व रिकार्ड में अंकित करने के निर्देश के तहत निर्णय पारित किया गया है इसमें पुराना रास्ता(वर्तमान में वैकल्पिक मार्ग) जो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज है को, काश्तकार के नाम किया जाना कतई जाना उचित नहीं है क्योंकि अपीलांट ने यह साबित नहीं किया कि पुराना रास्ता जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज है, वह पूर्व में

कभी उनकी खातेदारी में दर्ज थी । अतः अपील अस्वीकार कर खारिज करते हुए निर्णय यथावत रखा जावे ।

6- सर्वप्रथम हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण अपील के निर्णय से पूर्व करना करना उचित समझते है इसलिए हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः अपील में हुए विलम्ब क्षम्य किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7- हमने अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की उभयपक्षीय बहस दौराने अपीलमीमो में उल्लेखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मनन व गहनता से अवलोकन किया ।

8- हमने अपीलांट अभिभाषक/रेस्पोडेन्ट के तर्क का सुक्ष्मता से मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन व मनन किया उक्त अपील में प्रमुख रूप से अपीलांट द्वारा कहा गया कि आराजीयात खसरा संख्या 415/349 रकबा 03-18-00 व खसरा नम्बर 348 रकबा 00-13-00 बीघा अपीलांट की स्वंय की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । साथ ही आगे कहा गया कि अपीलांट की खातेदारी की आराजी नम्बर 415/349 में से प्रचलित रास्ता विद्यमान है जिस पर ग्राम पंचायत चांद जी की खेडी द्वारा ग्रेवल सडक बना रखी है किन्तु राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियों ने भूल व गलतीवश राजस्व नक्शे में रास्ते का इन्द्राज गलत रूप से खसरा नम्बर 348 रकबा 00-13-00 बीघा भूमि में कर दिया जिससे अपीलांट के हितो पर विपरीत असर पड रहा है । अतः ख0सं0348 रकबा 00-13-00 बीघा भूमि अपीलांट की खातेदारी में शामिल करने का अनुतोष चाहा गया । इस प्रकार अपील के निस्तारण हेतु निम्नांकित दो बिन्दुओं को निर्णित किया जाता है ।

1. क्या खसरा नम्बर 348 रकबा 00-13-00 बीघा अपीलांट की स्वंय की आराजीयात पूर्व में कभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है किन्तु राजस्व कार्मिकों ने सहवन से राजस्व रिकार्ड(राजस्व नक्शा) में रास्ते का इन्द्राज खसरा नम्बर 348 रकबा 00-13-00 बीघा भूमि में कर दिया, जिसे धारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से संशोधित किया जाना उचित होगा ?
2. क्या अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.01.2018 से आराजी खसरा संख्या 415/349 में प्रचलित रास्ता बिना कानूनी प्रकिया अपनाये व अविधिक रूप से गै0मु0रास्ता दर्ज करने के निर्देश दिया जिसके कारण वह निरस्तनीय है ?

प्रथम बिन्दु के संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एंव राजकीय पैराकार एंव नायब तहसीलदार बिजौलिया का लिखित प्रतिउत्तर /मौका पर्चा का गहनता से अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने खसरा न0 348 रकबा 00-13-00 बीधा की भूमि वर्तमान एंव पूर्व में कभी भी उनके आराजीयात रही हो इस संबंध में अपीलांट कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर सका और न ही अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड में ही उपलब्ध है जिससे प्रमाणित हो सके कि ख0सं0 348 अपीलांट की स्वंय की आराजीयात वर्तमान में है अथवा पूर्व में कभी रही

थी । अतः इस बिन्दु को अपीलांट अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है ।

द्धितीय बिन्दु के संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली से यह प्रमाणित पाया कि अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 415/349 में प्रचलित रास्ता राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र प. 3(2)राज.6पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में निजी खातेदारी की भूमि मे से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एंव 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,60एच,66 एंव 86 के प्रावधानुसार पारित किया गया है । इस प्रकार अपीलांट यह बिन्दु भी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा ।

उपरोक्त विवेचन से इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट दोनो बिन्दुओं के संबंध में अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका एंव पक्ष साबित करने में असफल रहा ऐसे में वह 136 के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं सकता क्योंकि धारा 136 के तहत नक्शा/राजस्व अभिलेख में केवल क्लेरिकल त्रृटि को सही किया जा सकता है इसके माध्यम से गै0मु0 रास्ते(सिवायचक) की राजकीय भूमि को कब्जे के आधार पर खातेदार के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। किन्तु अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 415/349 रकबा 03–18–00 में गै0मु0रास्ता दर्ज किये जाने पर रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि राज्य सरकार को सरैण्डर कर यथायोग्य मुआवजा राशि के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है । अतः उपरोक्त विचेचन के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित व विधिअनुसार प्रतीत होता है अतः इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते । अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाने योग्य है एंव अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2018 यथावत रखे जाने योग्य है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 27/2018 (2018/00027) बउनवानी गोविन्द सिंह बनाम लादू राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया भीलवाडा को अस्वीकार कर अपील खारिज की जाती है तथा विद्धान उपखण्ड अधिकारी,बिजौलिया जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 93/2017 बउनवान गोविन्द सिंह व राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया भीलवाडा में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2018 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.16 11:22:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: